



अंतरराष्ट्रीय  
कचरा वेचके  
गठबंधन

# संवाधान

---

अक्टूबर  
2022

---

प्रस्तावना.....	3
1. नाम .....	4
2. लक्ष्य और उद्देश्य.....	4
3. दायरा.....	6
4. सदस्यता .....	6
5. सदस्यता की समाप्ति.....	7
6. सदस्यता शुल्क .....	7
7. केंद्रीय समन्वय संरचना.....	8
8. वित्तीय प्रबंधन .....	13
9. सहयोगियों के कर्तव्य .....	14
10. संवधान की व्याख्या .....	15
11. संशोधन.....	15
12. अधिकारियों/नेताओं की क्षतपूरति.....	15
13. वचिटन.....	15
14. संलग्न वनियिम .....	16

## प्रस्तावना

अपने विशाल महाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में संगठित, हम, कचरा बीनने वाले, रसाइकलि करने वाले, कैनर, डंपस्टर डाइवर्स, स्क्रैपर्स और रक्लिमर्स, नमिनलखिति संवधान के आधार पर संवाद और सामूहिक मजबूती की अपनी प्रक्रिया को समेकित करते हैं।

वर्षों से, हम, एक ऐसी प्रणाली का फल जो जमा करता है, केंद्रित करता है, बहिष्कृत करता है, नष्ट करता है, और त्याग देता है, हमने ऐसी दुनिया में जीवित रहने के लिए अपने स्वयं के कार्यों का निर्माण किया है जो हमारे पर्यावरण के प्रति अत्यधिक आक्रामकता दिखाता है, जीवन के सभी रूपों को खतरे में डालता है। एक साथ आकर, संवाद में भाग लेकर, और संगठित होकर, हमने उन अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है जिनसे हमें वंचित किया गया है, जैसे उचित पारिश्रमिक और हमारे काम की गरमा और हमारे पर्यावरणीय योगदान को मान्यता।

हमारा संस्थापक संवधान हमारी बैठकों की प्रक्रियाओं और संकल्पों द्वारा निर्देशित होता है। इन सदिधांतों ने उन सदिधांतों का एक सेट स्थापित किया है जिनका उपयोग हम अपने साझा संघर्ष में उन शर्मकों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए करते हैं जिन्हें पारंपरिक तौर पर व्यवस्थित रूप से नमिन से बाहर रखा गया है: उत्पीड़न के खिलाफ और मुक्तिके लिए वास्तविक लोकतंत्र एक उपकरण के रूप में; सहभागी और अगुवा यूनियन संगठन; सामूहिक संगठनात्मक तरीकों को हमारे द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले सभी कार्यकर्ताओं द्वारा वैध किया गया; ईमानदारी और पारदर्शिता समानता और न्याय की दशा में इंजन के रूप में; हमारे उद्देश्यों को अपडेट करने और सुधार के लिए संतुलन और आत्म-आलोचना की प्रक्रियाएं; हमारे साझा घर के रूप में पृथ्वी की स्थायी देखभाल; उन लोगों के लिए सेवा के रूप में शक्तिका प्रयोग जिनके पास कम है; और वलिसति, बर्बादी और लाभ की अमानवीय खोज के खिलाफ सादगी और समानता की पैरवी करना।

नमिनलखिति संवधान में, हम अपने अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के लक्ष्यों और उद्देश्यों, हमारे व्यापार के दायरे और अंतर, हमारे पैरवी के उपकरणों का दायरा, हमारे संगठनात्मक सदिधांत और नमिन आवश्यकताएं, हमारी केंद्रीय समन्वय संरचना, हमारे पदाधिकारियों के कर्तव्य, और हमारे सहयोगियों के अधिकार और कर्तव्य की पुष्टिकरते हैं, क्रम/आदेश देते हैं और उन्हें स्थापित करते हैं।

सहष्णुता, सामूहिक प्रयास और शांतिकी संस्कृतिको विकसित करने के गंभीर संकल्प के साथ, हम अपने काम को महत्व देने, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक सम्मानजनक जीवन और अच्छा जीवन प्राप्त करने और अपने साझा घर की देखभाल करने और उसे ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम इस अंतरराष्ट्रीय कचरा बीनने वालों के गठबंधन में अपने संगठन को मजबूत करते हैं।

## 1 नाम

"कचरा बीनने वाले अंतरराष्ट्रीय गठबंधन" को कचरा बीनने वालों के लिए एक प्रतिनिधि संरचना और प्रवक्ता के रूप में गठित किया जाएगा। गठबंधन सार्वजनिक नीतियों के अनुसरण में अपने काम और उसकी मान्यता की रक्षा करेगा, जो दुनिया के पुनर्चक्रणकर्ताओं / रसाइकलि करने वालों के काम करने और रहने की स्थिति में सुधार करते हैं।

## 2 लक्ष्य और उद्देश्य

गठबंधन के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार होंगे:

- 2.1. पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ कचरा बीनने वालों के नेटवर्क का विस्तार और उसे मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कचरा बीनने वालों की गरिमा को बढ़ावा देना;
- 2.2. सहयोगी संस्थाओं को कचरा बीनने वालों का राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर प्रतिनिधित्व करने में मदद करना
- 2.3. संगठन के सभी स्तरों पर कचरा बीनने वालों की क्षमता और नेतृत्व को उन रणनीतियों पर काम करके मजबूत करना और जो सरकार के सभी स्तरों को सुनाना, प्राप्त करना और कचरा उठाने वालों की मांगों को एकीकृत प्रबंधन की सह-भागीदारी को बढ़ावा देकर पूरा करना सुनिश्चित करती हैं;
- 2.4. दुनिया भर में कचरा बीनने वालों को बढ़ावा देना और सदस्यता-आधारित संगठन बनाने के लिए स्व-संगठन और आत्म-निर्यात में उनकी सहायता करना जो उन्हें सामूहिक रूप से अपने अधिकारों और लाभों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है;
- 2.5. दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कचरा बीनने वालों और अन्य अनौपचारिक कचरा श्रमिकों के बीच मौजूद वर्ग अंतर को स्वीकारना और सबसे गरीब और सबसे हाशिए के कचरा बीनने वालों के रहने और काम करने की स्थिति में सुधार को प्राथमिकता देना;
- 2.6. सदस्य संगठनों में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना, साथ देना और सलाह देना;
- 2.7. कचरा बीनने वालों को उनके पर्यावरणीय योगदान के लिए क्षतिपूर्ति करने वाले उचित वेतन के साथ उनकी मान्यता के लिए प्रतिनिधित्व करना और उनकी पैरवी करना। यह कार्य सामग्री मूल्य निर्धारण, मूल्य श्रृंखला में वृद्धि का अधिकार और दुनिया भर में लाखों कचरा बीनने वालों के लिए न्यूनतम शर्तों के रूप में प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी स्थापित करके किया जाएगा;
- 2.8. कचरा बीनने वालों को कचरा प्रबंधन की मुख्य धारा में लाना और यह सुनिश्चित करना कि वे उन नीतियों और कानूनों के निर्माण और चर्चा में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं जो उनकी आजीविका को प्रभावित करते हैं, जैसे कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शून्य अपशिष्ट, विस्तारित उत्पादक ज़िम्मेदारियां, शहरी नियोजन और पर्यावरण से संबंधित कानून;
- 2.9. कचरे तक पहुँच में सुधार करके और कचरा बीनने वालों को ठोस कचरा प्रबंधन और पुनर्चक्रण (रीसाइकलिंग) प्रणालियों में एकीकृत करके कचरा बीनने वालों की आजीविका के संरक्षण की पैरवी करना, ऐसी रणनीतियों पर काम करना जो सरकार के सभी स्तरों पर कचरा बीनने वालों की मांगों को सुनना सुनिश्चित करें, एकीकृत कचरा प्रबंधन में सह-भागीदारी को बढ़ावा दें;
- 2.10. रीसाइकलिंग, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, और जलवायु परिवर्तन शमन में कचरा बीनने वालों के योगदान के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता पैदा करना और

इन योगदानों के लिए कचरा बीनने वालों को सरकार द्वारा समर्थति रीसाइक्लिंग शुल्क का भुगतान करने की पैरवी करना;

- 2.11. ऐसे कार्यक्रम तैयार करना और उनकी पैरवी करना जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कचरा बीनने वालों के पास स्वस्थ, सुरक्षित और संरक्षित कार्य वातावरण हो, जो जहरीले कचरे और अन्य खतरनाक पदार्थों से मुक्त हो, ताकि कचरा बीनने वाले वनिर्माण प्रक्रियाओं और सामग्रियों में बदलाव से जुड़े नकारात्मक स्वास्थ्य परिणामों से सुरक्षित रहें, और कूड़ा बीनने वालों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा नर्धि तक पहुँच हो;
- 2.12. दुनिया के वभिन्न हसिसों में कचरा बीनने वालों की संख्या और स्थिति पर जेंडर और उम्र के आधार पर एक सूचना डेटाबेस का निर्माण करना, जो कचरा बीनने वालों की वैश्विक वास्तविकता के बारे में जानने के लिए वभिन्न संकेतकों में गहराई से देखता है;
- 2.13. कचरा बीनने वालों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रभावी आयोजन रणनीतियों पर जानकारी का दस्तावेजीकरण और प्रसार करना;
- 2.14. उन सभी सहयोगियों को अपने स्वयं के संगठनों में युवा संरचनाएँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना जिनके पास पहले से युवा संरचनाएँ नहीं हैं, और यह सुनिश्चित करना कि इन संरचनाओं में वकिलांग लोग शामिल हों;
- 2.15. पुलिस और अन्य संस्थागत बलों और अन्य कर्ताओं द्वारा कचरा बीनने वालों के साथ किए गए भेदभाव, उत्पीड़न और अनादर का वरिोध करना;
- 2.16. कचरा बीनने वालों के बच्चों की शिक्षा को सुगम बनाने के लिए सहयोगी संस्थाओं, सरकारों और अन्य संगठनों के साथ काम करना और बाल श्रम को समाप्त करना सुनिश्चित करने के लिए बाल देखभाल तक पहुँच में सुधार करना;
- 2.17. स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी रूपों में अपशष्टि भस्मीकरण की अस्थायी अपशष्टि प्रबंधन प्रथाओं का वरिोध करना;
- 2.18. कचरा बीनने वालों की आजीविका को प्रभावित करने वाले अपशष्टि प्रबंधन और पुनर्चरण क्षेत्रों में अनुचित व्यापार प्रथाओं को समाप्त करने की दशिा में काम करना;
- 2.19. सभी कचरा बीनने वालों के लिए व्यावसायिक पहचान, सामाजिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और जेंडर-संवेदनशील व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की पैरवी करना;
- 2.20. पारस्परिक हति के मामलों पर अंतरराष्ट्रीय संघों और अनौपचारिक श्रमिकों और ट्रेड यूनियनों का प्रतनिधित्व करने वाले अन्य संगठनों के साथ साझेदारी में काम करना;
- 2.21. गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के साथ सामाजिक साझेदारी में काम करना जो कचरा बीनने वालों के साथ और उनके समर्थन में काम करते हैं और जो गठबंधन के लक्ष्यों और संवधान का समर्थन करते हैं;
- 2.22. इस संवधान में वर्णित मुख्य उद्देश्यों के साथ, वभिन्न माध्यमों (जैसे धन जुटाने) के माध्यम से प्राप्त संसाधनों का सहमति और स्पष्ट तंत्र के माध्यम से प्रबंधन, प्रशासन, वतिरण और पर्यवेक्षण करना।

### 3 दायरा

इस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन को कचरा बीनने वालों की ट्रेड यूनियन के रूप में समझा जाता है। इसके दायरे में उन संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कचरा बीनने वाले शामिल हैं जो दुनिया भर में पूरी श्रेणी के भीतर कचरा बीनने वालों के सबसेट की रक्षा में कार्य करते हैं, जसमें अपने संगठनों के भीतर पर्यावरण संवर्धन, प्रशासनिक समर्थन और अन्य कार्यों करने वाले कचरा बीनने वाले शामिल हैं।

**3.1.** अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में, कचरा बीनने वालों को नमिनानुसार परिभाषित किया गया है:

- क. अपने आप से काम करने वालों के रूप में अनौपचारिक या अर्ध-औपचारिक क्षमता में संग्रह, पृथक्करण, छँटाई और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री (कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, आदि) की बिक्री में शामिल व्यक्ति;
- ख. घुमंतू कचरा बीनने वाले, अनौपचारिक/अर्ध-औपचारिक कचरा संग्रहकर्ता जो पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं के परिवहन, छँटाई और बिक्री में लगे हुए हैं, अनौपचारिक या अर्ध-औपचारिक छँटाई / वसूली / पुनर्चक्रण क्षेत्र में परिवहन या छँटाई में लगे अनौपचारिक कार्यकर्ता, या उपरोक्त में से कोई भी जो नगरपालिका अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों में एकीकृत हैं और पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को छांटना और बेचना जारी रखते हैं;
- ग. पूर्व पुनर्चक्रणकर्ता जो पर्यावरण संवर्धन, देखभाल, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जेंडर कार्यक्रमों आदि में अपने पुनर्चक्रण संगठनों में नई भूमिका निभाते हैं।

**3.2.** संगठन का प्रकार:

नीचे दी गई सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले स्थानीय, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर के संगठन गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं:

- क. लोकतांत्रिक और जवाबदेह होना चाहिए;
- ख. सदस्यता-आधारित होना चाहिए, अर्थात, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के स्वामित्व या नियंत्रण में, उदाहरण के लिए सहकारी समितियों, ट्रेड यूनियनों, संघों, आदि;
- ग. मुख्य रूप से अनौपचारिक कचरा बीनने वालों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए;
- घ. कलंक हटाने और अपने सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को सुधारने का लक्ष्य रखना चाहिए;
- ङ. यूडीएचआर, 1948 में नहिति मानवाधिकारों के बुनियादी सिद्धांतों का पालन करना चाहिए;
- च. लोकतांत्रिक और कानूनी सिद्धांतों के आधार पर एक लिखित संवधान होना चाहिए, और नियमित वित्तीय रिपोर्ट, उनके सदस्यों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए।

### 4 सदस्यता

- 4.1.** कोई भी योग्य / पात्र संगठन आवश्यक विवरण और दस्तावेजों के साथ लिखित आवेदन द्वारा आवेदन कर सकता है (संलग्न विनियम देखें);
- 4.2.** सदस्यता की पुष्टि आवेदक की पात्रता के अनुसार देश/क्षेत्र में मौजूदा सदस्यों से प्राप्त फीडबैक/सत्यापन के आधार पर की जाएगी;
- 4.3.** कार्यकारी परिषद इस संवधान में सदस्यता आवश्यकताओं के आधार पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेगी;

- 4.4. इस उद्देश्य के लिए उपरोक्त खंड 3 के दायरे के अनुरूप आवेदक संगठनों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए एक रूपरेखा विकसित की जाएगी;
- 4.5. किसी संगठन के वोट उस संगठन से संबंधित सक्रिय, भुगतान किए गए सदस्यों की संख्या के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर निर्धारित किए जाएंगे;
- 4.6. बहु-क्षेत्रीय संगठनों (उपरोक्त खंड 3.2(सी) के अनुसार) का उनके कचरा बीनने वालों के घटक से सदस्यों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा;
- 4.7. सदस्यता का नवीनीकरण वार्षिक सदस्यता शुल्क के भुगतान और गठबंधन के अन्य दायित्वों को पूरा करने पर निर्भर होगा।

## 5 सदस्यता की समाप्ति

- 5.1. कोई भी सदस्य संगठन कार्यकारी परिषद को लिखित में कम से कम तीन (3) महीने का नोटिस देकर गठबंधन से हट सकता है। छोड़ने के मामले में, इस्तीफा देने वाले सदस्य संगठन को किसी भी शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी;
- 5.2. एक सदस्य संगठन को संवधान के अनुच्छेदों और सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए, खंड 4 के अनुसार पात्र नहीं होने, या गठबंधन या बड़े पैमाने पर कचरा बीनने वालों के हितों के खिलाफ कार्य करने के लिए गठबंधन से नलिंबति या नष्कासति किया जा सकता है;
- 5.3. कार्यकारी परिषद खंड 5.2 में शामिल कारणों का हवाला देते हुए किसी भी सदस्य संगठन को नष्कासति या नलिंबति कर सकती है। कार्यकारी परिषद प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगी और सदस्य को नष्कासति या नलिंबति करने के किसी भी प्रस्ताव पर सुनवाई की अनुमति देगी। इस तरह के किसी भी निर्णय को कांग्रेस को अपनी अगली बैठक में अनुमोदित करना होगा। एक नलिंबति या नष्कासति सदस्य संगठन कांग्रेस के निर्णय तक गठबंधन के सदस्य होने के लिए अपनी नरिंतर पात्रता साबित करने वाले दस्तावेज और स्पष्टीकरण के साथ अपनी अगली बैठक से पहले लिखित रूप में अपील कर सकता है;
- 5.4. एक नलिंबति या नष्कासति सदस्य संगठन को गठबंधन से फीस या देय राशि का कोई रफिंड प्राप्त नहीं होगा और न ही वे गठबंधन के सदस्यों के लिए उपलब्ध किसी भी लाभ, अधिकार या विशेषाधिकार के हकदार होंगे।

## 6 सदस्यता शुल्क

- 6.1. संबद्धता शुल्क और वार्षिक सदस्यता शुल्क कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो समावेशी तंत्र विकसित करने का प्रयास करता है जो उस क्षेत्र की अनौपचारिक विशेषता को ध्यान में रखता है जिसके खिलाफ संगठित होना और लड़ना आवश्यक है और जिसमें आर्थिक शुल्क अनन्य नहीं हैं;
- 6.2. शुल्क का भुगतान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 30 अप्रैल से पहले किया जाएगा। भुगतान न करने पर सदस्यता और सभी अधिकारों और विशेषाधिकारों को नलिंबति कर दिया जाएगा, जिसमें मतदान का अधिकार और किसी भी समिति की सदस्यता शामिल है। किसी भी सदस्य संगठन द्वारा एक वर्ष के लिए भुगतान न करने की स्थिति में, सदस्यता को नष्क्रिय माना जाएगा, और उस संगठन को वोट देने या सदस्यता के किसी भी लाभ का आनंद लेने का अधिकार नहीं होगा। दो साल तक भुगतान न करने की स्थिति में सदस्यता रद्द कर दी जाएगी;

- 6.3.** कार्यकारी परिषद द्वारा किसी भी असाधारण परिस्थितियों के लिए संबद्धता/वार्षिक सदस्यता शुल्क की छूट एक या अधिक सदस्यों के लिए निर्धारित की जा सकती है। हालाँकि, इस तरह की छूट का निर्धारण कार्यकारी परिषद द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर किया जाएगा।

## 7 केंद्रीय समन्वय संरचना

गठबंधन नमिन्लखिति संरचनाओं द्वारा शासित है:

### 7.1. कांग्रेस

- 7.1.1.** कांग्रेस गठबंधन की सर्वोच्च नरिणय लेने वाली संस्था है;
- 7.1.2.** कांग्रेस सभी संबद्ध कचरा बीनने वाले संगठनों और कांग्रेस की कार्यकारी परिषद से बनी है;
- 7.1.3.** कांग्रेस की अध्यक्षता एक अध्यक्ष द्वारा की जाती है (नीचे खंड 8.4 के अनुसार नरिवाचति);
- 7.1.4.** कांग्रेस का संचालन एक कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है (नीचे खंड 8.4 के अनुसार नरिवाचति);
- 7.1.5.** कार्यकारी परिषद प्रत्येक कांग्रेस की तथि, स्थान, एजेंडा और प्रक्रियाओं को तय करती है;
- 7.1.6.** कार्यकारी परिषद कम से कम चार (4) महीने पहले कांग्रेस की तारीख और स्थान के बारे में सहयोगियों को सूचति करेगी;
- 7.1.7.** कांग्रेस हर पांच (5) साल में कम से कम एक बार मलिति है;
- 7.1.8.** कार्यकारी परिषद एक असाधारण कांग्रेस बुला सकती है;
- 7.1.9.** सहयोगियों के एक साधारण बहुमत की याचकि भी एक असाधारण कांग्रेस को बढ़ावा दे सकती है;
- 7.1.10.** प्रतिसंगठन कांग्रेस के प्रतनिधियों की संख्या प्रत्येक संबद्ध संगठन के भुगतान किए गए सदस्यों की संख्या पर आधारित है, जो नमिन्नुसार है:
- क. 1-100 सदस्यों वाले सहयोगी एक (1) मतदान प्रतनिधि के हकदार होंगे;
- ख. 101-1000 सदस्यों वाले सहयोगी दो (2) मतदान प्रतनिधियों के हकदार होंगे;
- ग. 1001-5000 सदस्यों वाले सहयोगी तीन (3) मतदान प्रतनिधियों के हकदार होंगे;
- घ. 5000 से अधिक सदस्यों वाले सहयोगी चार (4) मतदान प्रतनिधियों के हकदार होंगे;
- ड. यदि मूल देश में, राष्ट्रीय सदस्यता-आधारित संगठनों के उदाहरण हैं, तो प्रतनिधि राष्ट्रीय संगठन से संबंधित होंगे। यदि राष्ट्रीय संगठन मौजूद नहीं हैं, तो अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में स्थानीय संगठनों का प्रतनिधित्व करने के लिए मानदंड तैयार किए जाएंगे।
- 7.1.11.** कांग्रेस के कम से कम पचास प्रतिशत (50%) प्रतनिधि महिला, गैर-बाइनरी या ट्रांस वर्कर होंगे;
- 7.1.12.** केवल वे संगठन जिन्होंने अपनी फीस का भुगतान किया है, उनके पास प्रतनिधित्व संबंधी अधिकार हो सकते हैं;
- 7.1.13.** गठबंधन कर्मचारी भी कार्यकारी परिषद के वविक पर उपस्थित हो सकते हैं;

- 7.1.14.** कोरम तब पूरा होता है जब प्रतनिधित्व के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कुल प्रतनिधियों में से 50 प्रतिशत (50%) + एक (1) उपस्थिति होते हैं। 24 घंटे के भीतर कोरम पूरा नहीं होने पर कांग्रेस स्थगति हो जाएगी;
- 7.1.15.** कार्यसूची कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की जाएगी और नमिनलखिति की रूपरेखा तैयार करेगी:
- क. संवधान, वधियों, वनियिर्मों को अपनाना और संशोधन करना;
- ख. सचवालय और अध्यक्ष से रपौरट;
- ग. कार्यकारी परिषद/सहयोगी संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नीतगित अनुमोदन और संकल्प;
- घ. अनुमोदन के लिए वत्तीय रपौरट;
- ङ. चुनाव, युवा, क्षेत्रीय और वषियगत समतियिों सहति अनुमोदन के लिए समतियिों;

## 7.2. कार्यकारी परिषद

- 7.2.1.** कार्यकारी परिषद का चुनाव कांग्रेस द्वारा कया जाएगा;
- 7.2.2.** कार्यकारी परिषद में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष होते हैं;
- 7.2.3.** कार्यकारी परिषद एक महासचवि को नयुक्त करेगी और उनका नरीक्षण करेगी;
- 7.2.4.** कार्यकारी परिषद का क्षेत्रीय प्रतनिधित्व होगा। प्रतनिधियों का नामांकन प्रत्येक क्षेत्रीय ब्लॉक से आना चाहिए;
- 7.2.5.** कार्यकारी परिषद में न्यूनतम पचास प्रतिशत (50%) महिलाएं शामिल होंगी;
- 7.2.6.** कार्यकारी परिषद के सदस्य कचरा बीनने वाले होने चाहिए और परिषद के सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों को नभाने में सचवालय द्वारा उनका वधिवित समर्थन कया जाना चाहिए;
- 7.2.7.** कार्यकारी परिषद कचरा बीनने वाले संगठनों की वर्तमान सूची और वैश्वकि क्षेत्रों में उनकी सदस्यता और आकार की जांच करेगी, और बहुमत के संकल्प द्वारा एक संतुलन प्रदान करने और इष्टतम भौगोलकि प्रतनिधित्व सुनश्चिति करने के लिए क्षेत्रीय सीमांकन का निर्धारण करेगी;
- 7.2.8.** कार्यकारी परिषद का कार्यकाल कांग्रेसों के बीच पांच (5) वर्ष होगा;
- 7.2.9.** यदि कार्यकारी सदस्य मध्यावधि में सेवानवृत्त हो जाते हैं या अनुपलब्ध हो जाते हैं, तो वैकल्पकि नयुक्त कए जाएंगे। यदि कोई वकिल्प उपलब्ध नहीं है, तो सेवानवृत्त सदस्य द्वारा प्रतनिधित्व कए गए क्षेत्र में सहयोगी संस्थाओं की इच्छा के अनुसार एक नया सदस्य नामति कया जाएगा;
- 7.2.10.** कार्यकारी परिषद की बैठक हर तीन (3) महीने में एक बार ऑनलाइन होगी;
- 7.2.11.** महासचवि परिषद के सदस्यों को बैठकों से पहले दो (2) सप्ताह का नोटसि देंगे;
- 7.2.12.** कोरम पचास प्रतिशत (50%) + एक वोट (1) है;
- 7.2.13.** कार्यकारी परिषद की शक्तियिों और कर्तव्यों में नमिनलखिति शामिल हैं:
- क. गठबंधन की गतवधियिों को बढ़ावा देना;
- ख. गठबंधन के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करना;
- ग. गठबंधन के प्रस्तावों, कार्यों, योजनाओं और नीतियिों के कार्यान्वयन को सुगम बनाना और उनकी नगिरानी करना;

- घ. सचवालय के कामकाज की नगरानी करना;
- ङ. उप-समतियों के काम की नगरानी करना;
- च. बजट और रपौर्ट को मंजूरी;
- छ. सहयोगियों के प्रस्तावों पर वचार करना;
- ज. कांग्रेस का आयोजन करना;
- झ. स्टाफ सदस्यों और उप-समतियों को कार्य सौपना;
- ञ. सदस्य संबद्धता आवेदनों को स्वीकृत करना और कांग्रेस के अनुसमर्थन के अधीन सदस्य संबद्धता नलिंबन पर सहमत देना।

### 7.3. पदाधिकारी

#### 7.3.1. अध्यक्ष

कांग्रेस एक कार्यकाल के लिए अध्यक्ष का चुनाव करेगी जसै चुनाव द्वारा केवल एक बार नवीनीकृत कया जा सकता है। अगर वह कसै भी कारण से अध्यक्ष पद से सेवानवृत्त हो जाते हैं, तो कार्यकारी परषिद उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के उत्तराधिकारी के रूप में नामति करेगी। अध्यक्ष नमिनलखिति करेंगे:

- क. कांग्रेस और कार्यकारी परषिद की बैठकों की अध्यक्षता करना;
- ख. बैठकों में, सहयोगियों की कांग्रेसों में, और गठबंधन के बाहर के संगठनों के साथ गठबंधन का प्रतिनिधित्व करना;
- ग. कांग्रेस और कार्यकारी परषिद द्वारा अनवार्य कर्तव्यों का पालन करना।

#### 7.3.2. उपाध्यक्ष

कांग्रेस उपाध्यक्ष का चुनाव एक कार्यकाल के लिए करेगी जसै चुनाव द्वारा केवल एक बार नवीनीकृत कया जा सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, या उनके द्वारा प्रत्यायोजति के रूप में, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करेंगे।

#### 7.3.3. कोषाध्यक्ष

कांग्रेस कार्यालय के एक कार्यकाल के लिए कोषाध्यक्ष का चुनाव करेगी जसै चुनाव द्वारा केवल एक बार नवीनीकृत कया जा सकता है। कोषाध्यक्ष नमिनलखिति कर्तव्यों का पालन करेंगे:

- क. गठबंधन के वत्तितीय मामलों की सामान्य देखरेख करना;
- ख. गठबंधन के खाते की उचति पुस्तकें रखी गई हैं सुनश्चिति करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना;
- ग. पुस्तकों का लेखा-जोखा (ऑडिट) कया गया है सुनश्चिति करना;
- घ. समेकति वार्षकि बैलेंस शीट और आय और व्यय के वविरण तैयार करना;
- ङ. सदस्यों को लेखापरीक्षति (ऑडिटिड) वार्षकि बैलेंस शीट और आय और व्यय के वविरण जमा करना या उपलब्ध कराना;

च. प्रथा और उपयोग के अनुसार कार्यालय से संबंधित इस तरह के अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

#### 7.3.4. महासचवि

महासचवि कार्यकारी परषिद द्वारा नियुक्त एक कार्यकारी होंगे, परषिद के बीच वोट के माध्यम से और कांग्रेस द्वारा वोट से नहीं, इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन और बायोडेटा मांगकर, और यह सुनिश्चित करके कि बुनियादी आवश्यकता में क्षेत्र का ज्ञान और अनौपचारिक कचरा बीनने वाले समूहों के साथ काम करने या उनका प्रतिनिधित्व करने का अनुभव शामिल होना चाहिए। वे एक पूर्णकालिक, वेतनभोगी कर्मचारी और गठबंधन के सभी नकियों के पदेन सदस्य होंगे। महासचवि कार्यकारी परषिद के प्रति जिवाबदेह होंगे और कांग्रेस के निर्णयों और योजनाओं को लागू करने के लिए पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे। वे नमिनलखिति कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार होंगे:

- क. कार्यकारी परषिद के प्रस्तावों और निर्देशों के अनुसार सचिवालय का प्रबंधन और उसके काम को तुरंत पूरा करना;
- ख. कांग्रेसों और कार्यकारी परषिद की बैठकों के मिनट्स लिखना और प्रसारित करना;
- ग. सहयोगियों के साथ प्रभावी संचार सुनिश्चित करना;
- घ. वित्त की उपलब्धता के आधार पर, अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय समन्वयकों के एक सक्षम कार्यालय कर्मचारी और ऐसी अन्य सहायता जो आवश्यक हो, बनाए रखना;
- ङ. एक वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट और कार्यकारी परषिद के लिए एक प्रस्तावित बजट की प्रस्तुति सहित गठबंधन के वित्त का प्रबंधन करना और लेखा परीक्षा उद्देश्यों के लिए वित्तीय पुस्तकों और अभिलेखों को बनाए रखना;
- च. बैठकों में, सहयोगियों की कांग्रेसों में और अन्य संगठनों के साथ गठबंधन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

#### 7.4. कार्यकारी परषिद और पदाधिकारियों का चुनाव

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चुनाव नीचे दी गई प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा:

- 7.4.1. महासचवि नामांकन की मांग करेंगे;
- 7.4.2. नामांकन चुनाव समितिके पास जाएंगे;
- 7.4.3. कांग्रेस में गुप्त मतदान से चुनाव होगा;
- 7.4.4. निर्वाचित पदाधिकारियों में से दो या अधिक महिलाएं, गैर-बाइनरी या ट्रांस वर्कर होने चाहिए;
- 7.4.5. निर्वाचित कोई भी दो पदाधिकारी एक ही क्षेत्र से नहीं आ सकते हैं;
- 7.4.6. सचिव को छोड़कर सभी पदाधिकारियों के पदों को क्षेत्रों के बीच बारी बारी से घुमाया (रोटेट किया) जाएगा;
- 7.4.7. नामांकित उम्मीदवार को अनुपस्थिति में चुना जा सकता है, बशर्ते उम्मीदवार लिखित रूप में पद के लिए अपना नामांकन स्वीकार कर लेता है;
- 7.4.8. यदि किसी भी उम्मीदवार को डाले गए मतों का बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो सबसे अधिक वैध मतों वाले शीर्ष दो (2) उम्मीदवारों को विजैता निर्धारित करने के लिए दूसरे दौर के मतदान से गुजरना होगा;

- 7.4.9.** पदाधिकारियों को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस गठबंधन के लिए व्यापक एजेंडा और कार्य योजना निर्धारित करती है;
- 7.4.10.** अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को देय किसी मानदेय का नर्णय कांग्रेस करेगी। आदर्श रूप से, उनके वेतन को उनके आधार संगठनों द्वारा कवर किया जाना चाहिए, इसलिए इन भूमिकाओं को पारश्रमिक के लिए नहीं लिया जाना चाहिए। कर्तव्यों को पूरा करने के संबंध में अर्जति व्यय की प्रतपूरतकी जाएगी।

## 7.5. पदाधिकारियों के कार्यालय से हटाया जाना

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव को नमिनलखिति में से किसी भी परस्थिति में पद खाली कर देना चाहिए:

- क. गठबंधन या उसके किसी भी सदस्य संगठन की सदस्यता से इस्तीफे, नलिंबन, या नषिकासन पर, या कार्यकारी परषिद के दो-तहिई बहुमत के वोट पर कदाचार के लिए नलिंबन या पद से नषिकासन पर;
- ख. कार्यकारी परषिद की लगातार तीन (3) बैठकों से कार्यकारी परषिद की अनुमतिके बनि अनुपस्थिति रहने पर;
- ग. नलिंबन/नषिकासन के प्रस्ताव के मामले में, नषिकासन का नोटसि सभी सदस्य संगठनों के साथ कम से कम नब्बे (90) दिनि पहले साझा किया जाएगा ताकि कार्यकारी परषिद के भीतर क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के संगठनों से इनपुट प्राप्त करने की अनुमति मिलि सके। बड़ी असहमतिके मामले में, सदस्यों का एक साधारण बहुमत एक असाधारण कांग्रेस (कांग्रेस को बुलाए जाने से संबंधित प्रावधानों के अनुसार) के लिए कॉल करने का हकदार है। हालाँकि, ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि हटाने/नलिंबन के लिए दो-तहिई (2/3) बहुमत की आवश्यकता होती है।

## 7.6. अनंतमि पदाधिकारी

- 7.6.1.** यदि कांग्रेस के बीच एक पदाधिकारी का पद रक्ति हो जाता है, तो कार्यकारी परषिद, कार्यकारी परषिद के सदस्यों में से, दो-तहिई (2/3) बहुमत से, मतपत्र द्वारा, एक व्यक्तिका अगली साधारण कांग्रेस तक अभनिय क्षमता में, चुनाव करेगी;
- 7.6.2.** ऐसी रक्ति को भरने के लिए नरिवाचति सदस्य अपने पूर्ववर्ती के कार्यालय की अवधिके असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा;
- 7.6.3.** ऐसे सभी चुनाव प्रस्तावति नामांकन, समर्थन और बहुमत मतपत्र पर मतदान के आधार पर होंगे।

## 7.7. सचवालय

सचवालय गठबंधन का प्रशासनिक नकिय है, जो नमिनानुसार शासति और संचालति होता है:

- क. सचवालय का नेतृत्व महासचिव करते हैं, जो गठबंधन के दिनि-प्रतदिनि के कामकाज का प्रबंधन करते हैं, कार्यकारी परषिद और कांग्रेस को रिपोर्ट करते हैं;
- ख. यह पूर्णकालिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों से बना है जो गतविधियों को अंजाम देते हैं;
- ग. यह कार्यकारी परषिद के मार्गदर्शन में संचालति होता है;

घ. यह सभी बैठकों, गतविधि समन्वय, सदस्यता प्रबंधन, रपिर्ट लेखन और अन्य नकियों के साथ समन्वय का प्रबंधन करता है;

ड. यह गैर-लाभकारी आधार पर संचालित होता है।

## 8 वत्तीय प्रबंधन

- 8.1. गठबंधन का वत्तीय प्रबंधन उस देश की वत्तीय और कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन में होगा जसिमें गठबंधन पंजीकृत है और/या जहाँ से सचवालय संचालित होता है;
- 8.2. संगठन के फंड सदस्यता शुल्क, अनुदान, और फंडगि संगठनों से दान, और वभिन्न स्रोतों से प्राप्त अन्य सभी धन, हमारे सदिधांतों और सहयोगी मूल्यों के अनुरूप और सम्मान से प्राप्त कए जाएंगे;
- 8.3. संगठन के सभी खातों के फंड को गठबंधन के मामलों के प्रशासन से जुडे खर्चों (धन के पच्चीस प्रतशित (25%) तक), संपत्तिके अधग्रहण और/या इस संवधान के खंड 3 में नरिदषिट उद्देश्यों की प्राप्ति के लए, और ऐसे अन्य वैध उद्देश्यों की प्राप्ति के लए जो कार्यकारी परिषद या गठबंधन के सदस्य संगठनों द्वारा मतपत्र द्वारा मतदान करने पर नरिणय लया जा सकता है, के भुगतान पर लागू कया जाएगा;
- 8.4. गठबंधन एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में कार्य करेगा, इस संवधान के खंड 3 में नरिदषिट उद्देश्यों के लए अपने संसाधनों को आवंटित करेगा और अपने सदस्य संगठनों को कसी भी लाभांश या बोनस के लए व्यय से अधिकि राजस्व का कोई अधशेष आवंटित नहीं करेगा।
- 8.5. कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित बैंक में गठबंधन के नाम से एक बैंक खाता खोला जाएगा। गठबंधन के खातों के हस्ताक्षरकर्ता अध्यक्ष, महासचवि और दो (2) अन्य व्यक्तियोंगे जो कार्यकारी परिषद द्वारा इस उद्देश्य के लए नयुक्त सचवालय द्वारा आसानी से सुलभ होंगे। उपर्युक्त में से कनिहीं दो (2) प्रत्येक लेनदेन पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करेंगे;
- 8.6. उपरोक्त खंड 8.5 में नरिदषिट हस्ताक्षरकर्ताओं को कार्यकारी परिषद द्वारा प्रत्येक पाँच (5) वर्षों में बदला जाएगा;
- 8.7. आय और व्यय के वविरण और गठबंधन की वत्तीय स्थितिको महासचवि द्वारा अर्ध-वार्षिक रूप से तैयार कया जाना है और कार्यकारी परिषद को प्रस्तुत कया जाना है, जो बदले में उन्हें कांग्रेस को प्रस्तुत करेगा;
- 8.8. गठबंधन के सभी खातों की लेखाकार और लेखा परीक्षक के रूप में पंजीकृत व्यक्तिकंपनी द्वारा संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्यकारी परिषद द्वारा नयुक्त वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी;
- 8.9. गठबंधन के लए समेकित लेखा परीक्षित वत्तीय वविरण, बैलेंस शीट और लेखा परीक्षक की रपिर्ट की कार्यकारी परिषद द्वारा पुष्टिकी जाएगी और सदस्य संगठनों को प्रस्तुत कया जाएगा;
- 8.10. ऊपर खंड 8.8 और 8.9 में उल्लिखित लेखापरीक्षक की रपिर्ट यह बताएगी कक्या:
  - क. उसने प्रतभितियों के अस्तित्व से खुद को संतुष्ट कर लया है और गठबंधन के खाते और रकिॉर्ड की जांच की है;
  - ख. उसने खुद को संतुष्ट कर लया है कखातों की उचित कतिबें रखी गई हैं;
  - ग. उसने आवश्यक सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लया है;

- घ. उनकी राय में आय और व्यय का वविरण और उनके द्वारा लेखा परीक्षति बैलेंस शीट को ठीक से तैयार कयिा गया है ताकि उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और उन्हें दएि गए स्पष्टीकरण के अनुसार और जैसा कि बैलेंस शीट की तारीख में गठबंधन की पुस्तकों द्वारा दखिाया गया है, गठबंधन के मामलों की स्थिति की सही झलक प्रदर्शति की जा सके;
- ङ. उनकी राय में, गठबंधन के संवधान के प्रावधानों का जहाँ तक वे वत्तितीय मामलों से संबंध रखते हैं, उनका अनुपालन कयिा गया है;
- 8.11.** एक सदस्य संगठन जो इस्तीफा देता है या गठबंधन से नष्किसति कर दयिा जाता है, उसका गठबंधन के धन पर कोई दावा नहीं होगा;
- 8.12.** गठबंधन के सदस्यों या पदाधिकारियों के पास गठबंधन से संबंधति धन और संपत्तिका अधिकार नहीं है;
- 8.13.** संगठन अपना कोई भी पैसा या संपत्ति अपने सदस्यों या पदाधिकारियों को नहीं दे सकता है, सविय उस काम के भुगतान के, जो किसी सदस्य या पदाधिकारी ने संगठन के लएि कयिा है। ऐसे मामलों में, कएि गए कार्य के लएि भुगतान एक उचित राशि होनी चाहएि;
- 8.14.** गठबंधन का वत्तितीय वर्ष उस देश के रीति-रिवाजों के अनुसार सचविालय के स्थान द्वारा नर्िधारति कयिा जाएगा।

## 9 सहयोगियों के कर्तव्य

### 9.1. गठबंधन और सहयोगियों के बीच संबंध:

गठबंधन अपने सहयोगियों की स्वायत्तता का सम्मान करेगा और उसे महत्व देगा। हालाँकि, सहयोगियों से कांग्रेस या कार्यकारी परिषद द्वारा सहमति के अनुसार गठबंधन में उनकी सदस्यता के संबंध में गठबंधन के नर्िणयों और नीतियों को लागू करने और लागू करने की उम्मीद की जाएगी;

### 9.2. सहबद्धों के कर्तव्य

गठबंधन से संबद्ध एक संगठन नमिनलखिति कर्तव्यों का पालन करेगा:

- 9.2.1.** प्रत्येक वर्ष 31 दसंबर तक सचविालय को उसके चुनावों और उसके पदाधिकारियों और सदस्यता और नए संपर्क वविरणों में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित रखना;
- 9.2.2.** अपनी सर्वोत्तम क्षमता के लएि आवश्यक अन्य जानकारी प्रदान करना;
- 9.2.3.** अपने न्यूजलेटर में, अपनी वेबसाइट पर, और अन्य मीडिया में गठबंधन की गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रकाशति करना और इस जानकारी की प्रतियां या लकि सचविालय को भेजना;
- 9.2.4.** इसकी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां सचविालय को भेजना;
- 9.2.5.** उपरोक्त खंड 6 के अनुसार नयिमति रूप से संबद्धता शुल्क का भुगतान करना;
- 9.2.6.** कांग्रेस और गठबंधन की अन्य गतिविधियों में भाग लेना;
- 9.2.7.** संयुक्त वैश्विक गतिविधियों के लएि कौशल, सामग्री और वत्ति जैसे संसाधनों का योगदान / साझा करके एकजुटता की भावना और अभ्यास के वकिस का समर्थन करना।

## 10 संवधान की व्याख्या

- 10.1.** इस संवधान की शर्तों या इससे संबंधित किसी भी मामले की व्याख्या की ज़िम्मेदारी कांग्रेस में नहित होगी। कांग्रेस के बीच, कार्यकारी परिषद को अनंतिम नियम स्थापित करने और व्याख्या से संबंधित अंतरिम सत्तारूढ़ विषय बनाने का अधिकार होगा, जो कांग्रेस द्वारा अंतिम निर्णय के अधीन होगा;
- 10.2.** इस संवधान के विभिन्न संस्करणों के बीच अर्थ के किसी भी अंतर की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

## 11 संशोधन

कांग्रेस इस संवधान के प्रावधानों को पचहत्तर प्रतिशत (75%) मतदान प्रतिनिधियों के बहुमत से नरिस्त, संशोधित या जोड़ सकती है, बशर्ते कि किसी भी प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना सभी सदस्यों को कम से कम साठ (60) दिनों की पहले दी गई हो।

## 12 अधिकारियों/नेताओं की क्षतिपूर्ति

गठबंधन के पदाधिकारियों, कार्यकारी परिषद के सदस्यों, प्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने, बशर्ते कि उन्होंने इस तरह से सद्भावपूर्वक काम किया हो, जो गठबंधन के हितों को आगे बढ़ाता है, गठबंधन द्वारा सभी कार्यवाही, लागतों और खर्च किए गए खर्चों के लिए क्षतिपूर्ति की जाएगी। गठबंधन या उसके सदस्यों की ओर से अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किसी भी चूक, लापरवाही, या अन्य कार्य के कारण, और वे गठबंधन या उसके किसी भी सदस्य की किसी भी देनदारियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे।

## 13 वधिदन

- 13.1.** गठबंधन को किसी भी समय मतदान के लिए पात्र प्रतिनिधियों के पचहत्तर प्रतिशत (75%) द्वारा किए गए संकल्प द्वारा भंग किया जा सकता है, बशर्ते कि डाक और इलेक्ट्रॉनिक मतदान आयोजित किया गया हो और कम से कम अस्सी प्रतिशत (80%) मतदान के पात्र प्रतिनिधिमतपत्र में भाग लेते हैं;
- 13.2.** कांग्रेस द्वारा गठबंधन के वधिदन की स्थिति में, किसी भी वित्तीय दायित्वों को पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस गठबंधन के धन और संपत्तिके निपटान के तरीके पर फैसला करेगी;
- 13.3.** यदि वधिदन का संकल्प ले रही कांग्रेस गठबंधन के धन और संपत्तिके निपटान के तरीके पर निर्णय नहीं लेती है, तो नमिनलखिति प्रावधान लागू होंगे:

क. अंतिम नियुक्त कार्यकारी परिषद के उपलब्ध सदस्य वधिदन को अंजाम देने के लिए एक परसिमापक (लक्विडिटर) नियुक्त करेंगे। परसिमापक गठबंधन का सदस्य नहीं होगा और उसे ऐसी फीस का भुगतान किया जाएगा, जिस पर उसके और उपरोक्त उपलब्ध सदस्यों के बीच सहमति हो सकती है;

ख. इस प्रकार नियुक्त किए गए परसिमापक गठबंधन के अंतिम पदाधिकारियों और सचिवालय से अनुरोध करेगा कि वे उसे लेखा बहियां प्रदान करें, गठबंधन की परसिमपत्तियों और देनदारियों को साथ-साथ उस तारीख से पहले बारह (12) महीनों के लिए सदस्यों के रजिस्टर, जिससे गठबंधन काम करना जारी रखने में असमर्थ था, यहाँ वधिदन की तारीख के रूप में संदर्भित किया गया है, वधिदन की तारीख के समय प्रत्येक सदस्य द्वारा भुगतान की गई फीस के साथ। परसिमापक गठबंधन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील

करेगा कवि गठबंधन की खर्च न की गई सभी नधियों को उन्हें सौंप दें और गठबंधन की परसिंपत्तियों को समाप्त करने के लिए आवश्यक परसिंपत्तियों और दस्तावेजों को उसे सौंप दें;

- ग. परसिमापक अपने खर्च न कएि गए धन और अपनी संपत्ति से प्राप्त किसी भी अन्य धन से गठबंधन के ऋणों को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा;
- घ. पूर्ववर्ती खंड के अनुसार सभी ऋणों के भुगतान के बाद, शेष धनराशि, यदि कोई हो, को समान लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ किसी अन्य नामति संगठन को सभी या आंशिक संपत्तिके हस्तांतरण द्वारा नपिटाया जाएगा, या ट्रस्ट में रखा जाएगा। जब तक किसी अन्य संगठन की स्थापना नहीं हो जाती है, जो पूरे क्षेत्र या उसके हस्से को समाहति कर लेता है और एक का दायरा भंग हो जाता है और ऐसे क्षेत्र और दायरे में काम करने वाले सभी संगठनों के लिए खुला रहता है।

## 14 संलग्न वनियिम

जनि वनियिमों और प्रक्रियाओं को तैयार करने और अपनाने की आवश्यकता होगी, उनमें नमिन शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमति नहीं हैं, जनिहें इस समय पहचाना गया है:

- सदस्यता आवेदन पत्र।
- बैठकें आयोजति करने के लिए स्थायी आदेश।
- कांग्रेस आयोजति करने के लिए स्थायी आदेश।
- अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में कार्यकारी परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया।
- अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया।
- उप-समतियों के लिए संदर्भ की शर्तें।



**अंतरराष्ट्रीय  
कचरा वेचक  
गठबंधन**